



राजस्थान सरकार
आयुक्तलय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736(0)

क्रमांक : एफ4 (35) आकाशि / नि.सं. / DCE/2024-2025/0195

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत के लिए सत्र 2024-25 से स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय / विषयों में स्थाई अनापति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

संचालक संस्था : Shree Govindam Educational Society, 15 Ahinsapuri, Fatehpura, Udaipur

महाविद्यालय का नाम : SHREE JI COLLEGE, Behind DIET, Nathuwas, Nathdwara, Distt. Rajsamand (Rajasthan), Udaipur Division 313301

सम्बद्ध विश्वविद्यालय : Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur

पूर्व संचालित संकाय/ विषय : Arts स्नातक - Bachelor of Arts Economics, Geography, History, Political Science, Sanskrit, Sociology, ENGLISH LITERATURE, HINDI LITERATURE Science स्नातक - Bachelor of Science Botany, Chemistry, Mathematics, Physics, Zoology

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ प्रवेश-प्रक्रिया समाप्त होने पर आयुक्तलय कॉलेज शिक्षा द्वारा निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तलय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./ राज्य सरकार / आयुक्तलय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में वी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. स्थाई मान्यता प्राप्त संस्थाएँ गुणवत्ता संवर्धन हेतु NAAC से प्रत्यायन प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
7. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
10. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तलय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
11. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2024-25 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल WWW.aishenic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तलय में प्रस्तुत करेगा।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव आयुक्त आयुक्तलय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर राजसमंद।
5. सचिव, Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur
6. सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. संकाय की शाखा, आयुक्तलय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Date: 2025.03.27 15:23:23 IST
Reason: SelfAttested

ATTESTED

TILKESH SHARMA
Advocate Notary Nathdwara

2026